



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2000/आषाढ़ 19, 1922

No. 456]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2000/ASADHA 19, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2000

आय-कर

का. आ. 650 (अ).—जबकि भारत गणराज्य एवं फ्रांस गणराज्य के बीच आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए अनुबद्ध अभिसमय दोनों संविदाकारी राष्ट्रों द्वारा उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए उनके कानूनों के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के उपरान्त 1 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हो गया है;

और जबकि केन्द्र सरकार के आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1969 का 7) की धारा 24क और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया था कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (विदेश कर प्रभाग) की दिनांक 7 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 681 (अ) से अनुबंधित उक्त अभिसमय के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा;

और जबकि उक्त अभिसमय के दिनांक 29 सितम्बर, 1992 के प्रोटोकोल के पैरा 7 में यह व्यवस्था है कि यदि 1 सितम्बर, 1989 के बाद भारत और तीसरे राज्य जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का एक सदस्य हो, के बीच सम्पन्न किसी अभिसमय, करार अथवा प्रोटोकोल के अन्तर्गत भारत लाभांश, ब्याज, राजलिटियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा उपस्कर के इस्तेमाल के लिए भुगतानों पर स्रोत पर अपने कराधान को आय की उक्त मदों पर इस अभिसमय में उपबंधित उस दर अथवा कार्यक्षेत्र की अपेक्षा कम दर अथवा अधिक सीमित कार्यक्षेत्र तक सीमित करेगा, तब जिस तारीख से भारत और फ्रांस के बीच अभिसमय अथवा संगत भारतीय अभिसमय करार अथवा प्रोटोकोल प्रवृत्त होता है जो भी बाद में प्रवृत्त होता है, उस तारीख से आय की उक्त मदों पर उस अभिसमय, करार अथवा प्रोटोकोल में यथा उपबंधित वही दर अथवा कार्यक्षेत्र इस अभिसमय के अन्तर्गत लागू होगा।

और जबकि भारत और जर्मनी के बीच 26 अक्टूबर, 1996 को प्रवृत्त हुए अभिसमय, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 18 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुए अभिसमय जो राज्य आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्य हैं, में भारत सरकार ने लाभांश, ब्याज, रायल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा उपस्कर के इस्तेमाल के लिए भुगतानों पर स्रोत पर कराधान को आय की उक्त मदों पर भारत और फ्रांस के बीच अभिसमय में किए प्रावधान की अपेक्षा निम्न दर अथवा अधिक सीमित कार्यक्षेत्र तक सीमित कर दिया है।

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश

देती है कि निम्नलिखित संशोधन उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित अभिसमय में किए जाएंगे जो भारत और फ्रांस के बीच उक्त अभिसमय को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी हैं, नामशः

I. 1. अप्रैल, 1997 से "लाभांश" से संबंधित अनुच्छेद 11 के मौजूदा पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाएगा :

"2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी लाभांश देने वाली कम्पनी निवासी है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर लाभांश सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

II. 1. अप्रैल, 1995 से "ब्याज" से संबंधित अनुच्छेद 12 के मौजूदा पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाएगा :

"2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जहां यह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा;

(क) बैंक अथवा वास्तविक बैंककारी अथवा वित्तीय कारोबार करने वाली अन्य वित्तीय संस्था द्वारा अथवा किसी बीमा कम्पनी अथवा किसी उपक्रम जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज देने वाली कम्पनी की कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी धारण करता है, द्वारा दिए गए अथवा प्रत्याभूत ऋण के ब्याज की सकल धनराशि का 10 प्रतिशत :

(ख) अन्य सभी मामलों में ब्याज की सकल धनराशि का 15 प्रतिशत।"

III. 1. अप्रैल, 1997 से उपर्युक्त पैरा II में संदर्भित "ब्याज" से संबंधित अनुच्छेद 12 के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाएगा :

"2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जहां यह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता इस ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर ब्याज की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

IV. 1. अप्रैल, 1995 से "रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और उपस्कर के इस्तेमाल के लिए भुगतान" से संबंधित अनुच्छेद 13 के मौजूदा पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाएगा :

"2. तथापि, ऐसी रायल्टियों, फीसों एवं भुगतानों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जहां यह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ऐसी श्रेणियों की आय का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

(क) रायल्टियों एवं फीसों के मामले में ऐसी रायल्टियों अथवा फीसों की सकल धनराशि का 20%, तथा

(ख) इस अनुच्छेद के पैरा 5 में संदर्भित भुगतानों के मामले में ऐसे भुगतानों की सकल धनराशि का 10 प्रतिशत।"

V. 1. अप्रैल, 1997 से "रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और उपस्कर के इस्तेमाल के लिए भुगतानों" से संबंधित अनुच्छेद 13 के मौजूदा पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाएगा :

"तथापि, ऐसे रायल्टियों, फीसों और भुगतानों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जहां यह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ऐसी श्रेणियों की आय का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित किया गया कर ऐसी रायल्टियों, फीसों तथा भुगतानों" की धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[अधिसूचना सं. 11438/फ्त.सं. 501/16/80-एफटीडी]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2000

INCOME-TAX

S.O. 650(E).—Whereas the Convention between the Republic of India and the French Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital came into force on the 1st day of August, 1994, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force the said Convention.

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1969) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), had directed that all the provisions of the said Convention annexed to the notification of the Government in India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) (Foreign Tax Department) number G S.R. 681 (E), dated the 7th September, 1994, shall be given effect to the Union of India;

And whereas paragraph 7 of the Protocol dated the 29th September, 1992, to the aforesaid Convention provides that if after the 1st day of September, 1989, under any Convention Agreement or Protocol concluded between India and a third State which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, India should limit its taxation at source on dividends, interest, royalties, fees for technical services or payments for the use of equipment to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, then, as from the date on which the Convention between India and France or the relevant India Convention, Agreement or Protocol enters into force, whichever enters into force later, the same rate or scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply under this Convention;

And whereas in the Convention between India and Germany which entered into force on the 26th October, 1996, and the Convention between India and the United States of America which entered into force on the 18th December, 1990, which states are members of the Organisation for Economic Cooperation and Development, the Government of India has limited the taxation at source on dividends, interest, royalties, fees for technical services and payments for the use of equipments to a rate lower or a scope more restricted than that provided in the Convention between India and France on the said items of income.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that the following modifications shall be made in the Convention notified by the said notification which are necessary for implementing the aforesaid Convention between India and France, namely,

I. With effect from the 1st April, 1997, for the existing paragraph 2 of Article 11 relating to 'Dividends', the following paragraph shall be read,

"2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

II With effect from the 1st April, 1995, for the existing paragraph 2 of Article 12 relating to 'Interest', the following paragraph shall be read;

"2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the interest on loans made or guaranteed by a bank or other financial institution carrying on bonafide banking or financial business or an insurance company or by an enterprise which holds directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the company paying interest;

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases".

III. With effect from the 1st April, 1997, for paragraph 2 of Article 12 relating to 'Interest', referred to in paragraph II above, the following paragraph shall be read;

"2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest".

IV. With effect from the 1st April, 1995, for the existing paragraph 2 of Article 13 relating to 'Royalties and fees for technical services and payments for the use of equipment', the following paragraph shall be read;

"2. However, such royalties and fees payments may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State but if the recipient is the beneficial owner of these categories of income, the tax so charged shall not exceed;

(a) in the case of royalties and fees 20 per cent of the gross amount of such royalties or fees; and

(b) in the case of payments referred to in paragraph 5 of this Article, 10 per cent of the gross amount of such payments"

V. With effect from the 1st April, 1997, for paragraph 2 of Article 13 relating to 'Royalties and fees for technical services and payments for the use of equipment', referred to in paragraph IV above, the following paragraph shall be read:

"2. However, such royalties and fees payments may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of these categories of income, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of such royalties, fees and payments"

[Notification No 11438/F.No 501/16/80-FTD]

VIJAY MATHUR, Jt. Secy

